फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 29/2024 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

हनुवन्तसिंह बनाम राजरथान राज्य

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
10/6/24	अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई ।अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी हनुवन्तसिंह मेडतिया पिता हरिसिंह मेडतिया निवासी रावली खोड पाली खौड जिला पाली के ग्राम जेतारण पटवार हल्का पीपाणा तहसील कुम्भलगढ मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1365/15 रकबा 0.2160 हैक्टेयर किस्म बारानी-3 भूमि मे आने-जाने हेतु ग्राम जेतारण की बिलानाम भूमि से रास्ता दिलाया जावे नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि मे आने-जाने हेतु ग्राम जेतारण की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 1481/1047 रकबा 0.4104 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.1890 हैक्टेयर,आराजी नंबर 1633/1369 रकबा 3.0780 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.3456 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1374/15 रकबा 0.4320 हैक्अेयर किस्म मगरी में से रकबा 0.1123 हैक्अेयर एवं आराजी नंबर 1634/1369 रकबा 0.6264 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.0108 हैक्टेयर व विपक्षी संख्या 2 संग्रामसिंह पिता फतहसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी कुन्दवा कणवेरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1648/1354 रकबा 2.3760 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.0351 हैक्टेयर भूमि का रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है । रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को दिये जाने की अनुशंषा की है । अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता बिलानाम भूमि व खातेदारी भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित बिलानाम भूमि की डी.एल. सी.दर 123745/-रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 81387/-की दुगुनी कीमत 162774/-रूपये संबंधित मद मे जमा कराने व विपक्षी संख्या 2 की खातेदारी भूमि की कीमत 4344/- की दुगुनी कीमत 8688/- रूपये खातेदार को अदा करने पर व खातेदार द्वारा नही लेने की स्थिति मे संबंधित मद मे जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है ।रास्ते की अधिकत[illegible] फीट है । जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा । तदनुसार राजस्व अ[illegible] अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु [illegible] जाकर ट्रेस की प्रति के तहसीलदार कुम्भ[illegible] पालना हे[illegible] जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर[illegible] न्यायालय मे सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द (राज.)	उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़, जिला-राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:40:48 IST
Reason: SelfAttested